राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– जबरासर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस.)

वाद सं0 : 63 सन 2018

अनवान :–

1. आत्माराम पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. रामलाल पुत्र भीराज जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. ख्यालीराम 3 रामप्रताप पि0 रामलाल जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
4 कमला पुत्री रामलाल जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

अर्जीदावा अन्तर्गत धारा 88, आरटीएक्ट

उपस्थित : श्री कुलदीप खूडिया अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 25.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में पेश कर निवेदन कि रोही मौजा ढण्ढेला के खाता संख्या 24 के खसरा न0 104 मीन की 34.16 बीधा व खाता संख्या 113 के खसरा न0 105 मीन की 45.07 बीधा भूमि स्थित है जो पूर्व में वादी के दादा भीराज वल्द रामकरण जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर खातेदार है वादी का दादा भीराज फोत हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान उसके दो पुत्र है जिन्होने आपसी सहमति से वाद भूमि का बटवारा कर लिया है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 को रोही मौजा ढण्ढेला के खाता संख्या 216/199 के खसरा न0 395/1 की 4.4010हैक एवं खसरा न0 396/3 की 5.7350हैक कुल 10.1360हैक भूमि आई वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम विरास्तन से आने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वय उपस्थित होकर वादी के वाद को लोक भावना से प्रेरित होकर स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ने निवेदन किया की उन्होने अपनेह क हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाइयों के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि में वादी एंव प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से उनके हक हिस्सा के अनुसार दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों में राजीनामा पेश किया जा चुका है।इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादी काबिल डिक्री है किन्तु वादी की बहनों ने अपने हकों का त्याग किया गया है जिसके कारण राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयुटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खाता संख्या 216/199 के खसरा न0 395/1 की 4.4010हैक व खसरा न0 396/3 की 5.7350हैक कुल 10.1360हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन कर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– अखेर रूप्ये पांच हजार का स्टॉम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2018 को मेरे द्वारा राजरव लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी

राजस्व लोक दालत 2018

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

कैम्प कोट–जबरासर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट–गोरखाना

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. आत्माराम पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 रामलाल पुत्र भीराज जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

2. ख्यालीराम 3 रामप्रताप पि0 रामलाल जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

4 कमला पुत्री रामलाल जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।

5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 63 सन 2018 निर्णय दिनांक– 25.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत '' न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खाता संख्या 216 / 199 के खसरा न0 395 / 1 की 4.4010हैक्ट व खसरा न0 396 / 3 की 5.7350हैक्ट कुल 10.1360हैक्ट भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन कर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000 / – अखेर रूप्ये पांच हजार का स्टॉम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत '' न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–जबरासर